REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2025

पूर्वी छत्तीसगढ़ की जमीदारियों का अध्ययन

डॉ. रश्मि सोनी
शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.)

1. उपरोड़ा :—

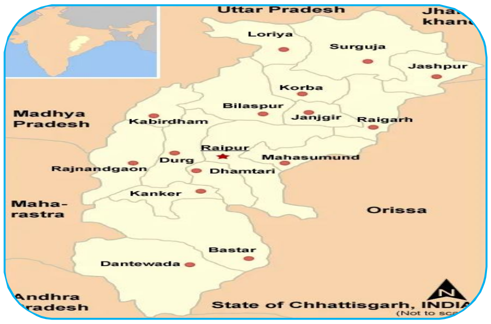

क्षेत्रफल 448 वर्गमील, ग्राम संख्या 86 ,जमीदार का पद दीवान। पेंडरा जमींदार हिन्दू सिंह के दो पुत्र थें — 1. पूरनमल, 2. चूरामन मल। चूरामन मल के पुत्र हिम्मतराय ने उपरोड़ा चौरासीपर आक्रमण पर उसके ब्राम्हाण अधिकारी का सिर काट कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि वह ब्राम्हाण अधिकारी बड़ा अत्याचारी था। इस अपराध पर हिम्मतराय को रतनपुर नरेश द्वारा कारागृह भेज दियागया। हिम्मतराय का एक नौकर मोहरिया गांडा था। वह बहुत बढ़िया मोहरी (शहनाई) बजाता था। वह अपने स्वामी को छुड़ाने का अवसर ढूंढता रहा। एक दिन उसने रतनपुर नरेश के महल के नीचे ऐसी मधुरता और मोहक ढंग से मोहरी बजाई कि राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और उसकी प्रार्थना पर हिम्मतराय को मुक्त कर दिया तथा साथ ही उसे उपरौड़ा चौरासी का जमींदार भी नियुक्त कर दिया। यह घटना सं. 1641 अर्थात् सन् 1584 की कही जाती है। मराठा राज्य के अंतर्गत आने के समय जमींदारी अजमेर सिंह और शिव सिंह के अधिकार में थी। पहले मराठों ने इसकी वार्षिक टकौली 1200/— बांधी थी जो अर्ज मारूज करने पर घटा कर 480/— कर दी गई।

2. केंदा :—

क्षेत्रफल 299 वर्गमील ,ग्राम संख्या 92 जमींदार का पद ठाकुर। कहते है— एक बार रात्रि के समय रत्नपुर नरेश की सेना रींवा के विरूध्द कूच कर रही थी। रास्ते में मशाले बुझ गई। घोर अंधकार , फिर घना जंगल और पहाड़ी प्रदेश। सैनिकों को एक पग भी चलना कठिन हो गया। तब प्रसिद्ध बीर जसकरन ने जो पेण्ड्रा जमींदार हिन्दूसिंह का पुत्र था अपने हाथों में तिली को मसलकर तेल निकाला, तब कही मसाले जल पायी। रतनपुर नरेश के कानो में जब यह बात पहुंची तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे केन्दा जमीदारी पुरस्कार में दे दी। इस संबंध में एक दूसरी बात और प्रसिध्द है वह यह कि पेण्ड्रा जमींदार हिन्दू सिंह के घराने में तीसरी पीढ़ी में जो जमीदार हुआ उसके दो पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र संवतसिंह को रतनपुर नरेश तखतसिंह ने सं 1991 वि. में केंदा जमींदारी दी थी। शायद यह पिछली बात ही ठीक हो। यह जमीदारी संबतसिंह के वंशजों के अधिकार से कभी नही निकली। अरपानदी में जितनी घाटियां है, इस जमींदारी के अंतर्गत है। केंदा गांव बेलगहना स्टेशन से आठ मील दूर कोमोघाट के नीचे सुंदर स्थान पर बसा हुआ है। मराठों द्वारा बांधी गई वार्षिक टकौली 427/— थी।

3. कोरबा :–

क्षेत्रफल 856 वर्गमील ,ग्राम संख्या 341 जमींदार का पद दीवान। यह जमींदारी जिले की सबसे बड़ी जमींदारी थीं । यह बहुत पीदे रतनपुर राज्य में मिलाई गई थी। चीजम साहब ने इसके संबंध में लिखा है कि रतनपुर के राजा बाहारसाय ने इसे सन् 1520 के लगभग सरगुजा नरेश से छीन लिया था। उसी समय इसने कोसगई–छुरी में पठानों को हराया था। रतनपुर से दूर रहने के कारण इसके जमींदार कुछ स्वतंत्र से थे। मराठों के इन्होने खूब तंग किया था। एक बार बिम्बाजी ने टकौली न पटने के कारण जमींदारी जब्त कर ली थी पर इनके कर्मचारी कोरबा से शीघ्र भगा दिये गये। पश्चात् 2000 की भेंट पाने पर बिम्बाजी मान गये और जमींदारी भरत सिंह को वापस कर दी। यहां लोहा और कोयला की खदाने है। जमींदारी मे जंगल भी बहुत है। कुदुरमाल में माघपूर्णिमा को मेला प्रति वर्ष लगा करता है जहां कबीर पंथियों के गुरू रहते है। श्रीमती धनराजकुंवर यहां की अंतिम जमींदारिन है।

4. कंतेली :–

क्षेत्रफल 25 वर्गमील, ग्राम संख्या 44, जमीदार का पद ठाकुर। इस जमीदारी की स्थिति मैदानी भाग में थी। इसके जमींदारी के पूर्वज पहले मुंगेली जमींदारी के जमीन्दार थे। सन् 1798 के लगभग नागपुर के भोंसला राजा रघुजी प्रथम ने भाई नानाजी जगन्नाथपुरी जाते हुए मुंगेली आये। यहां उनके एक साथी ने जमींदार के भाई का घोड़ा छीन लेना चाहा। इस पर झगड़ा हो गया। बात बहुत बढ़ गई। फल यह हुआ कि जमींदार फतहसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और विचार के लिए राजधानी रतनपुर भेज दिया गया। इस पर सूबा केशवपंत ने उसे तोप से उड़वा दिया और सारी जमींदारी जब्त कर ली। किन्तु बाद में उसके परिवार को गुजरबसर के लिए मदनपुर तालुक दे दिया गया। पश्चात् लोरमी तालुका भी परिवार को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात् तत्कालीन जमींदार संतोष सिंह ने लोरमी से आकर मुंगेली को घेर लिया। उस समय अंग्रेजों का अधिकार हो चला था। इन्होने जमींदार संतोष सिंह को बंदीगृह में डाल दिया जहां उसका स्वर्गवास हो गया। पीछे केवल मदनपुर (कंतेली) जमींदारी संतोष सिंह को दी गई । यह जमींदारी वास्तव में मुंगेली जमींदारी का एक भाग था जो रतनपुर नरेश कल्याण साय द्वारा इसके अंतिम जमींदार पुखराज सिंह के एक पूर्वज तरवर सिंह को दिया गया था।

5. चॉपा :–

क्षेत्रफल 104 वर्गमील, ग्राम संख्या 64 जमींदार का पद दीवान। यह जमींदारी बिलासपुर जिले के पूर्व भाग में हसदो नदी के दोनो तटों पर फैली हुई थी। इसे इसके पूर्व पुरूष राम सिंह को रतनपुर नरेश बाहारसाय ने प्रदान किया था। कहते है कि यह जमीदारी अंतिम जमीदार के अधिकार में 17 पीढ़ी से था। इसका नाम पहले मदनपुर चौरासी था। इसके खंडहर हसदो नदी के तट पर अभी भी मौजूद है। इस जमीदारी का विस्तार पहले अधिक था जो मराठों के राजत्वकाल में कम हो गया। कैसे कम हो गया इसकी कहानी इस प्रकार है– रतनपुर के भोंसला राजा बिम्बाजी का मुहम्मद खां तारान नामक एक खासगी सरदार था। यह 200 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिक का अधिकारी था। इसकी निष्ठा से प्रसन्न हो राजा ने इसे अकलतरा, लवन, किकरदा, खरौद और मदनपुर ये पांच परगने इनाम में दे दिये। मुहम्मद खां इनाम में पाये हुए परगनों पर अधिकार जमाने के लिए अपने सिपाहियों सहित जांजगीर जा पहुंचा। जांजगीर मदनपुर परगना के अंतर्गत था। मदनपुर के जमींदार छत्रसाल को जब यह खबर लगी तो वह अपने दोनो पुत्र सहित मुहम्मद खां के पास दौड़े आया और पूछने लगा कि किन अपराधों के कारण मेरी जमींदारी छीनी गई। खां ने उत्तर दिया मुझे ये सब तो नही मालूम , आप राजा साहब से पूछिये। छत्रसाल राजा बिम्बाजी के पास पहुॅचा ,उत्तर मिला परगने तो मुहम्मद खां को दे दिये गये है, इसलिये अब वही इसका फैसला करेगा। तब मुहम्मद खां ने सारे अच्छे––अच्छे गांव अपने लिए रख लिये और हसदो तट के 26 रद्दी गांव छत्रसाल को दे दिये। उसी समय मुहम्मद खां ने मदनपुर के उमरेली और कोठारी नामक दो ''बरहो'' भी कोरबा जमीदार को दे दिये। यह लगभग सन् 1780 की बात है। इस कथा की सत्यता में बहुत कम संदेह है। मराठा राज्य को इस जमीदारी से 2000 वार्षिक टकौली मिलती थी।

6. छुरी :–

रकबा 339 वर्गमील, ग्राम संख्या 143 , जमीदार का पद प्रधान। यह जमीदार 'कंवरान' के नाम से प्रसिध्द थी क्योंकि यहां कंवरों की संख्या बहुत अधिकहै। छुरी खास से 5 मील दूर कोसगई नामक पहाड़ी है जहां धामघुरूवा नामक एक डाकू रहता था। उसे रत्नपुर के राजा के एक पहरेदार ने मार डाला और यह जमीदारी पुरस्कार रूप में उसे मिल गई। तब से यह उसी वंश के अधिकार में थी। कोसगई पहाड़ी पर जो किला है, कहते है उसे रत्नपुर नरेश बाहारसाय ने सोलहवीं ई. शताब्दी में बनवाया था पर कुछ लोग कहते है कि बाहारसाय के पूर्व काल का यह किला है जिसका जीर्णोद्धार बाहारसाय ने किया था। यहां बाहारसाय के दो शिलालेख भी मिले है जिनमें से एक में कोई तिथि नही पड़ी है, दूसरे में आश्विन बदी 13 सं. 1570 विक्रम खुदा हुआ है। इस प्रशस्ति से पता लगता है कि राजा बाहारसाय ने कोसगई किले में अपना कोशागार सुरक्षित रखा था जहां धन धान्य का विशाल संग्रह था । प्रधान भुवलाल सिंह इसके अंतिम जमींदार थे। सन् 1741 में तत्कालीन जमींदार राघोसिंह को, जब वह रतनपुर किले का बचाव कर रहा था, मराठों ने मार डाला था। मराठों को इस जमीदारी से 800 वार्षिक टकौली मिला करती थी। जो सन् 1797 में 1200 कर दी गई।

7. मातिन :–

क्षेत्रफल 544 वर्गमील, ग्राम संख्या1109 जमींदार का पद दीवान। यह दूसरी जमींदारी थी जिसका संबंध पेण्ड्राके जमींदार परिवार से था। इस जमींदारी के पुराने अधिकारी जाति के राज गोड़ थे जिनके वंशज अभी भी सिरी नामक गांव में है। इस राजगोड़ परिवार का कथन था कि हम यहां 22 पीढ़ियों से निवास कर रहे है। जब उनकी चौरासी छिन गई थी तब भी उनके पास बाहर गांवों को एक ''बरहो'' था। संवत 1699 वि. में उपरोड़ा जमींदार हिम्मतराय के छोटे पुत्र कल्याण सिंहने मातिन–जमींदारी पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया तब सिरी के तारफाना गोंड़ ने शीघ्र ही उसे मार कर बदला चुकाया। पर रत्नपुर के राजा राजसिंह ने कल्याण सिंह को वही वहां का अधिकारी करार दिया और तब से यह उसी वंश के अधिकार में है। मराठों के अधिकार में आने पर इसकी वार्षिक टकौली 700 बांधी गई।

सन् 1795 में कप्तान ब्लंट चुनारगढ़ से राजमहेद्री की यात्रा करते समय इस जमींदारी के बीच होकर गया था। उसने अपनी डायरी में इसके विषय में लिखा है– ''पश्चिमी बाजू पर ऊँची पहाड़ियों की श्रेणियों को छोड़ते हुए आज हम पोड़ी ग्राम पहुंचे। यहां का कंवर अधिपति मुझ से मिलने आया यों कहा जय कि एक गोरा को कोतुहलवंश देखने आया। संग में उसके पुत्र और पौत्र भी थे। बड़े हट्टे–कट्टे और डीलडौल के थे। फिर भी संबंध में अन्य गोड़ों के साथ इनकी समता नही हो सकती । हम दोनो एक दूसरे को घूरते रहे। हम लोग एक दूसरे की भाषा से अनजान थे। इतने में एक ''बैरागी फकीर'' आया। यह सदा बन पहाड़ो में घूमा करता था। इसने दुभाषियें का काम किया। इस अधिपति के साथ वार्तालाप के बीच मालूम हुआ कि इन पहाड़ो में सात छोटे–छोटे इलाके, जिन्हे चौरासी कहते है। पर ये नाम मात्र के चौरासी है। वास्तव में इनमें पन्द्रह से अधिक गांव नही है। ये सब मातिन परगना के भीतर है और मराठों को कर देते है। कर के रूप में बहुत ज्यादा अन्न वसूल किया जाता है। यदि 'कर' बराबर नही अदा होता तो मराठे बड़ी लूटपाटमचाते है। मैने पूछा क्या यहां कंवर या जाति का स्वतंत्र राज्य कभी नही था? उत्तर मिला– यह भाग पहे बघेल खंड रीवा राजा के अधीन था। पर अनुमान तीस वर्ष हुए मराठों ने उसे भगा दिया। इस झगड़े में यह क्षेत्र और अधिक गरी तथा वीरान हो गया। वार्तालाप से मै कुछ अधिक लाभ नही उठा सका क्योंकि दुभाषियें को कंवर भाषा का बहुत कम ज्ञान था। अंत में वृध्द अधिपति ने जिसका ध्यान मेरे रामनगर–मोढ़े की ओर अधिक था, उसकी बनावट के विषय में पूछताछ की और चला गया। दोपहर में एक घंटा पहले हम लोग मातिन पहुॅच और ताती नदी के तट पर डेरा लगाया। वहां से एक मील उत्तर एक बहुत ही मनोहर पहाड़ी थी जिसे कंवर लोग मातिन देवी कहते है। मैने अपनी दूरबीन से देखा तो उसकी चोटी पर पताका फहराते पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि वह हिन्दू देवी भवानी का स्थान है। होली के दिन थे, पहाड़ी लोग गाकर और नाच कर बड़े गंवारू ढंग से त्यौहार मना रहे है। बाजा जो वे बजा रहे थे, उसे एक किस्म का आप नगाड़ा समझिये। यह मिट्टी के बर्तन पर चमड़ा माढ़ कर बनाया गया था। वे इस बात को नही जानते थे कि इस त्यौहार की उत्पत्ति कब से हुई और इसका मतलब क्या है? इस बात को बताने वाला उनमें कोई ब्राम्हाण भी नही था। मेरी समझ में तो वे निम्नश्रेणी के

हिन्दू थे। मै उनकी निरक्षरता और विचित्र बोली के कारण उनके इतिहास, रहन–सहन तथा धर्म के विषय में कुछ पता न लगा सका।

8. पेण्ड्रा :–

क्षेत्रफल 774 वर्गमील, ग्र्रम संख्या जमींदार की पदवी 'लाल'।रत्नपुर नरेश के आश्रय में हिन्दू सिंह नामक दो भाई रहते थे। इन्होने एक दिन रास्ते के किनारे एक बोरा भर द्रव्य पड़े पाया जिसे वे राजा को दे आये। राजा इनकी इस ईमानदारी से प्रसन्न हो गया और इन्हे पेण्ड्रा जमींदारी इनाम में दे दी। इस जमींदारी इनके घराने में 12 पुश्तों से चली आई थी। प्राचीन समय में हिन्दू सिंह से बहुत इस अंचल में आर्यो के निवास था जैसा कि धनपुर के खंडहरों तथा अवशेषों से प्रमाणित होता है ये अभी भी इसके प्राचीन गौरव का स्मरण दिला रहे है। हिन्दू सिंह तो इनके सैकड़ो वर्ष पश्चात् हुआ होगा। पंडरीवन अर्थात् पेण्ड्रा से हिन्दू सिंह के वंश की बड़ी बढ़ती हुई और 100 वर्ष के भीतर इसके वंशज केंदा, उपरोड़ा और मातिन के अधिकारी बन बैठे। मराठों के समय में भी ये अपनी जमींदारियों का उपभोग करते रहने पर सन् 1798 में पेण्ड्रा जमींदार पृथ्वी सिंह पर मराठों की कोप दृष्टि पड़ी। रत्नपुर के सूबा ने उसे राजधानी मे बुला भेजा परंतु वह नवागढ़ और मुंगेली के जमींदारों की दुर्दशा का हाल सुन चुका था, इस लिए नही गया। इस पर केशव गोविंद पंत सूबाने जमींदारी जब्त कर ली और पृथ्वी सिंह को तीर्थ यात्रा के बहाने भाग जाना पड़ा। मराठों ने इस पर यह जमींदारी एक गोड़ को दे दी। परन्तु सन् 1804 में सोहागपुर के जमींदार ने पेण्ड्रा पर चढ़ाई कर दी और गांव में आग लगा दिया। तब भोंसला तोपखाना के जमादार धनसिंह ने शुत्रओं को बड़ी वीरताके साथ लड़ कर मार भगया और इनाम में जमींदारी प्राप्त कर ली। आगे चल कर सन् 1818 में जब कर्नल एग्न्यू छत्तीसगढ़ के सुप्रेन्टेडेंट होकर आया तब उसने उसके पुराने अधिकारी के वंशज अजीत सिंह को जमींदारी सौंप दी और वार्षिक टकौली 1400 बांध दी।

9. पंडरिया :–

रकबा 478 वर्गमील,ग्राम 349 , जमींदार का पद ठाकुर। पहले इसका सदर मुकाम कामठी नामक गांव में था जो इस समय जंगल के बीच है। वहां प्राचीन बस्ती के चिन्ह अभी भी दृष्टिगोचर होते है। पंडरिया जमींदारी की पूर्वी सीमा पर सेतगंगा नामक एक गांव है। यहां एक अच्छा सा मंदिर है। कहते है कि यह मंदिर उपर्युक्त कामठी गांव के सुंदर पत्थरों से निर्मित किया गया था। इस जिले में पंडरिया ही ऐसी जमींदारी थी जो हैहयवंशी राजाओं से ''चौरासी'' के रूप में कभी नही रही। छ.ग. में इसका नाम नही आता। कहते है कि पहले एक लोधी जमींदार गढ़ा मंडला केराजा की आधीनता में इसका उपभोग करता था। पर सन् 1546 में उसने अपने राजा के विरूध्द विद्रोह कर दिया। अंत में उसे शाम सिंह जो पंडरिया के अंतिम जमींदार के पूर्वज थे, से पराजित होना पड़ा। पुरस्कार में शाम सिंह को पंडरिया के अंतिम से पराजित होना पड़ा । पुरस्कार में शाम सिंह को पंडरिया जमींदारी प्राप्त हो गई। पंडरिया जमींदारी उस समय मुकुतपुर प्रतापगढ़ के नाम से प्रसिध्द थी। दलसाय जो शाम सिंह के बाद उसकी सातवीं पीढ़ी में हुआ के दो पुत्र थे। एक पृथ्वी सिंह दूसरा महाबली सिंह महाबली को सन् 1760के लगभग कर्वधा का राज्य प्राप्त हुआ। कहते है कि पंडरिया जमींदारी अंतिम जमींदार की 16 पीढ़ी पहले से इसके अधिकार में थी। ये अपना रक्त संबंध मकड़ाई नरेश से बताते है। इनका वैवाहिक संबंध सारंगढ़ नरेश, फुलझर तथा कंतेली जमींदारों से है। सहसपुर जमींदारी के अधिकारी भी पंडरिया परिवार के है।

हैह्यवंशी राजाओं की पुरानी जमाबंदी के कागजातों से ज्ञात होता है कि प्रतापगढ़ (पंडरिया) उनकी करद जमींदारी थी। पर वास्तव में इस जमींदारी का संबंध गढ़ा मंडला से ही अधिक था। कप्तान ब्लन्ट सन् 1795 में लिखते है कि प्रतापगढ़ के गोड़ और रतनपुर के भोंसला राजाओं के बीच सदा लड़ाई हुआ करती थी। सन् 1818 में जब नागपुर के अप्पा साहब भाग निकले और चारों ओर उपद्रव होने लगे तब पंडरिया जमींदार के भी बिगड़ खड़े होने का ढंग दिख पड़ता था। बलवे के समय भी इस पर सोहागपुर के विद्रोहियों के साथ संबंध रखने का संदेह किया गया था। यही कारण है कि जब करद राज्यों के हक्कों का निर्णय हुआ तब पंडरिया, रियासत के बदले जमींदारी मानी गई।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. समर बहादूर सिंह, सरगुजा का अध्ययन, प्रकाशन दुर्गादास जौहरी, वाराणसी, 1957
2. प्यारेलाल गुप्त, प्राचीन छत्तीसगढ़ ,प्रकाशक रविशंकर विश्वविद्यालय,रायपुर ,1973
3. सरगुजा जिला गजेटियर, गजेटियर संचानालय, संस्कृति विभाग, म.प्र.भोपाल, 1989
4. रघुवीर प्रसाद, झारखंड झंकार, सुप्रिन्टेंडेंट कांकेर रियासत, बनारस, 1930
5. झाखंड झंकार, 1930
6. रायगढ़ जिला गजेटियर, गजेटियर संचालनालय , संस्कृति विभाग , म.प्र.भोपाल, 1976
7. प्यारेलाल गुप्त, प्राचीन छत्तीसगढ़ ,1973
8. बिलासपुर जिला गजेटियर , जिला गजेटियर विभाग, म.प्र.भोपाल, 1978
9. प्यारेलाल गुप्त, प्राचीन छत्तीसगढ़ ,रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, 1978
10. भारत 2007, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा जिला गजेटियर, म.प्र.भोपाल
12. भारत की जनगणना , 1991 म.प्र.सीरीज 13 ,धार्मिक तालिकाएं,सी–9, भाग–iv-B(ii) जनगणना संचालनालय, म.प्र. भोपाल
13. S.C.Bhatt Edu.Chhattisgarh Gazetters,Gyan Publishing House,New Delhi 2003
14. भारत–1966 ,सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2004–05, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
16. बिलासपुर जिला जनगणना हैंडबुक, 1961
17. रायगढ़ जिला गजेटियर, 1976
18. म.प्र.जनगणना 1981, अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति भाग–2 (ii) खंड–3,म.प्र.जनगणना संचालनालय ,भोपाल
19. बिलासपुर जिला गजेटियर , 1978
20. Central provinces District Gazetters, 1891-1926 ,Govt.press,Nagpur
21. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 200–05, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
22. छत्तीसगढ़ का सांख्यकीय संक्षेप, आर्थिक एवं सांख्यकीय संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर 2005
23. पी.आर.नायडू ''भारत के आदिवासी विकास की समस्यायें'' राधा पब्लिकेशंस, दरियागंज, नई दिल्ली 1997

डॉ. रश्मि सोनी
शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.)